

कार्यालय— न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय कोरबा, जिला— कोरबा (छ0ग0)

// आदेश //

क्रमांक 6/दो-11-1/2005

कोरबा, दि0- 17/04/2018

कुटुम्ब न्यायालय कोरबा (छ0ग0) की स्थापना पर रिक्त स्टेनोग्राफर (हिन्दी) (अनारक्षित) पद हेतु जारी विज्ञापन क्रमांक क्यू/दो-11-1/2005 दि0 04.01.2017 के अनुसार श्री कृष कुमार कौशिक पिता श्री मिट्ठन लाल कौशिक, गंगा नगर, सेक्टर-2, शिवशंकर प्राविजन के पास, मंगला चौक, बिलासपुर (छ0ग0) को स्टेनोग्राफर (हिन्दी) (अनारक्षित) के पद पर पे मेट्रिक्स के लेवल 7 में (वेतनमान 5200-20200+2800/- ग्रेड पे) उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से 2 वर्ष की परीक्षा पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है:-

- (1) परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न होने पर परीक्षा अवधि आगे एक वर्ष तक और बढ़ाई जा सकेगी और जब तक स्थायी न कर दिया जाये तब तक उन्हें परीक्षा पर माना जायेगा।
- (2) परीक्षा काल में उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी।
- (3) अस्थायी सेवा काल में वे यदि स्वयं सेवा से मुक्त होना चाहेंगे तो एक माह की पूर्व सूचना इस कार्यालय को देनी होगी या यदि तुरन्त कार्य मुक्त होना चाहे तो एक माह की सूचना के बदले एक माह का वेतन जमा करना होगा। इसी प्रकार यदि नियोक्ता द्वारा उन्हें सेवा से पृथक किया जाना हो तो उन्हें नियोक्ता द्वारा एक माह की पूर्व सूचना दी जायेगी या ऐसी सूचना के बदले एक माह का वेतन देकर तुरन्त सेवा से पृथक कर दिया जायेगा।
- (4) यदि उनके द्वारा नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के दिनांक से 15 दिनों में अपने पद का कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता और नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाता तो उन्हें कार्यभार ग्रहण करने से अपात्र किया जावेगा तथा चयनित सूची से उनका नाम पृथक कर दिया जावेगा।
- (5) उन्हें शपथ लेना होगा की वे विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा व सच्ची निष्ठा रखेंगे।
- (6) वे मेडिकल बोर्ड द्वारा दिया गया स्वस्थता का प्रमाण पत्र कार्यभार ग्रहण करने के एक सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करेंगे जिसका व्यय उन्हें स्वयं करना होगा।
- (7) मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त शारीरिक अथवा मानसिक स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्रतिकूल होने की अवस्था में नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जा सकेगा।
- (8) उन्हें अनुप्रमाणन फार्म भरना होगा। पुलिस प्रमाणीकरण अथवा सत्यापन प्रतिकूल होने की अवस्था में नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जा सकेगा।
- (9) वे कुटुम्ब न्यायालय के सेवाकाल में किसी अन्य विभाग को किसी पद के लिये सीधे आवेदन नहीं करेंगे।
- (10) वे बिना पूर्व अनुमति के किसी विद्यालय/महाविद्यालय में अध्ययन नहीं करेंगे, और न ही स्वाध्यायी छात्र के रूप में किसी परीक्षा में सम्मिलित होंगे, यदि वे

अध्ययन करते हुए अथवा परीक्षा में सम्मिलित होते हुए पाये गये तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

- (11) वे कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति अवश्य प्रस्तुत करें। यह पाये जाने पर की उन्होंने अपने आवेदन में और उसके साथ प्रस्तुत प्रमाण पत्रों में मिथ्या तथ्यों का समावेश किया है या कोई तथ्य छिपाया है अथवा वह विज्ञापन में उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता के अनुसार अर्हता नहीं रखते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।

(सुमन एक्का)

न्यायाधीश

कुटुम्ब न्यायालय कोरबा

कार्यालय— न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय कोरबा, जिला— कोरबा (छ0ग0)

क्रमांक 195/दो-11-1/2005

कोरबा, दि0- 17 /04/2018

प्रतिलिपि:-

01. श्री कृष कुमार कौशिक आत्मज श्री मिट्ठन लाल कौशिक, गंगा नगर, सेक्टर-2, शिवशंकर प्राविजन के पास, मंगला चौक, बिलासपुर (छ0ग0)
02. लेखापाल/नाजिर कुटुम्ब न्यायालय कोरबा (छ0ग0)
की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।

(सुमन एक्का)

न्यायाधीश

कुटुम्ब न्यायालय कोरबा

कार्यालय— न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय कोरबा, जिला— कोरबा (छ0ग0)

// आदेश //

क्रमांक 5/दो-11-1/2005

कोरबा, दि0-17/04/2018

कुटुम्ब न्यायालय कोरबा (छ0ग0) की स्थापना पर निम्नलिखित अभ्यर्थीगण को :-

स. क.	नाम एवं पिता का नाम	पता	पद का नाम	वर्ग जिसके विरुद्ध नियुक्ति की गई
1.	श्री अमित कुमार पिता स्व. श्री समारू राम	मकान नंबर 436, वार्ड नंबर 33, मड़वारानी मंदिर के पास, सिंचाई कालोनी रामपुर कोरबा (छ0ग0)	सहायक ग्रेड-तीन	अनारक्षित
2.	श्री राकेश खर्षा पिता श्री दिलीप खर्षा	जेल वार्ड क्रमांक 12, सारंगढ़ जिला रायगढ़ (छ0ग0)	सहायक ग्रेड-तीन	अन्य पिछड़ा वर्ग

को सहायक ग्रेड तीन पद हेतु जारी विज्ञापन क्रमांक क्यू/दो-11-1/2005 दि0 04. 01.2017 के अनुसार सहायक ग्रेड तीन के पद पर पे मेट्रिक्स के लेवल 4 में (वेतनमान 5200-20200+1900/- ग्रेड पे) में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से 2 वर्ष की परीक्षा पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है:-

- (1) परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न होने पर परीक्षा अवधि आगे एक वर्ष तक और बढ़ाई जा सकेगी और जब तक स्थायी न कर दिया जाये तब तक उन्हें परीक्षा पर माना जायेगा।
- (2) परीक्षा काल में उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी।
- (3) अस्थायी सेवा काल में वे यदि स्वयं सेवा से मुक्त होना चाहेंगे तो एक माह की पूर्व सूचना इस कार्यालय को देनी होगी या यदि तुरन्त कार्य मुक्त होना चाहे तो एक माह की सूचना के बदले एक माह का वेतन जमा करना होगा। इसी प्रकार यदि नियोक्ता द्वारा उन्हें सेवा से पृथक किया जाना हो तो उन्हें नियोक्ता द्वारा एक माह की पूर्व सूचना दी जायेगी या ऐसी सूचना के बदले एक माह का वेतन देकर तुरन्त सेवा से पृथक कर दिया जायेगा।
- (4) यदि उनके द्वारा नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के दिनांक से 15 दिनों में अपने पद का कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता और नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाता तो उन्हें कार्यभार ग्रहण करने से अपात्र किया जावेगा तथा चयनित सूची से उनका नाम पृथक कर दिया जावेगा।

- (5) उन्हें शपथ लेना होगा की वे विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा व सच्ची निष्ठा रखेंगे।
- (6) वे मेडिकल बोर्ड द्वारा दिया गया स्वस्थता का प्रमाण पत्र कार्यभार ग्रहण करने के एक सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करेंगे जिसका व्यय उन्हें स्वयं करना होगा।
- (7) मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त शारीरिक अथवा मानसिक स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्रतिकूल होने की अवस्था में नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जा सकेगा।
- (8) उन्हें अनुप्रमाणन फार्म भरना होगा। पुलिस प्रमाणीकरण अथवा सत्यापन प्रतिकूल होने की अवस्था में नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जा सकेगा।
- (9) वे कुटुम्ब न्यायालय के सेवाकाल में किसी अन्य विभाग को किसी पद के लिये सीधे आवेदन नहीं करेंगे।
- (10) वे बिना पूर्व अनुमति के किसी विद्यालय/महाविद्यालय में अध्ययन नहीं करेंगे, और न ही स्वाध्यायी छात्र के रूप में किसी परीक्षा में सम्मिलित होंगे, यदि वे अध्ययन करते हुए अथवा परीक्षा में सम्मिलित होते हुए पाये गये तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- (11) वे कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति अवश्य प्रस्तुत करें। यह पाये जाने पर की उन्होंने अपने आवेदन में और उसके साथ प्रस्तुत प्रमाण पत्रों में मिथ्या तथ्यों का समावेश किया है या कोई तथ्य छिपाया है अथवा वह विज्ञापन में उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता के अनुसार अर्हता नहीं रखते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।

(सुमन एक्का)

न्यायाधीश

कुटुम्ब न्यायालय कोरबा

कार्यालय— न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय कोरबा, जिला— कोरबा (छ0ग0)

क्रमांक 194/दो-11-1/2005

कोरबा, दि- 17 / 04 / 2018

प्रतिलिपि:—

01. श्री अमित कुमार पिता स्व. श्री समारू राम म.न. 436, वार्ड नं. 33, मड़वारानी मंदिर के पास, सिंचाई कालोनी रामपुर कोरबा (छ0ग0)
02. श्री राकेश खर्वा पिता श्री दिलीप खर्वा जेल वार्ड क्रमांक 12, सारंगढ, जिला रायगढ़ (छ0ग0)
03. लेखापाल/नाजिर कुटुम्ब न्यायालय कोरबा (छ0ग0)
की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।

(सुमन एक्का)

न्यायाधीश

कुटुम्ब न्यायालय कोरबा